न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–183/2019 (जीसीएमएस नं. 2019/00114)

1. गणपत लाल यादव पुत्र स्व. श्री भौंरीलाल यादव, जाति यादव, निवासी इण्डियन ऑयल पैट्रोल पम्प के पास, चॉदपोल बाजार झोटवाड़ा जयपुर राजस्थान।

1/1. सूरज देवी धर्मपत्नी स्व. श्री गणपत लाल यादव आयु 80 वर्ष, जाति यादव निवासी ए–235, नेहरू नगर राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, जयपुर राजस्थान 302016

1/2. कैलाश चन्द यादव पुत्र स्व. श्री गणपत लाल यादव, जाति यादव निवासी ए–235, नेहरू नगर राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, जयपुर राजस्थान 302016

1/3. श्रीमती सन्तोष यादव पत्नी श्री महावीर प्रसाद पुत्री श्री गणपत लाल यादव जाति यादव निवासी ए–235, नेहरू नगर राजेन्द्र प्रसाद मार्ग जयपुर राजस्थान।

1/4. महेन्द्र यादव पुत्र श्री गणपत लाल यादव जाति यादव निवासी ए–235, नेहरू नगर राजेन्द्र प्रसाद मार्ग जयपुर राजस्थान।

1/5. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री सीताराम यादव पुत्री श्री गणपत लाल यादव जाति यादव निवासी ए–235, नेहरू नगर राजेन्द्र प्रसाद मार्ग जयपुर राजस्थान।

1/6 सुरेन्द्र यादव पुत्र श्री गणपत लाल यादव जाति यादव निवासी ए–235, नेहरू नगर राजेन्द्र प्रसाद मार्ग जयपुर राजस्थान।

1/7. श्रीमती मंजू यादव पत्नी श्री राकेश बलवान जाति यादव निवासी ए–235, नेहरू नगर राजेन्द्र प्रसाद मार्ग जयपुर राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. नगर निगम जयपुर (हैरीटेज) पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी टोंक रोड़, जयपुर जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
2. उपायुक्त नगर निगम किशनपोल जोन, कार्यालय घाटगेट जयपुर, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री सुरेश कुमार शर्मा एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांकः 21.12.2021

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2019 से असंतुष्ट होकर नगर पालिका अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई।

P.T.O

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी की एक लोहे की केबिन खूड हाउस की भूमि स्थित इण्डियन ऑयल पैट्रोल पम्प के पास झोटवाड़ा रोड़ चांदपोल बाहर जयपुर मे स्थित है जिसमें अपीलार्थी के द्वारा ट्रेवल्स का कारोबार किया जाता है तथा उक्त पैट्रोल पम्प की खूड हाउस की भूमि पर ही स्थित है तथा खूड हाउस की भूमि लगभग 5500 वर्गगज है जिसके मुख्य झोटवाडा रोड़ की बाउण्ड्री पर झोटवाड़ा रोड पर खुलती हुई 6 पक्की दुकाने भी अपीलार्थी की लोहे की केबीन 8X10 फीट के पास ही समान्तरण में स्थित है। उन्होने आगे कथन किया है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा खूड हाउस की सम्पत्ति पर 9,80,405/–रूपये का गृहकर राशि बकाया होना बताकर नोटिस दिनांक 31.02.2017 चस्पा करते हुऐ उसकी वसूली की आड़ में अपीलान्ट की कबिन व खाली पड़ी हुई जमीन को कुर्क कर लिया जबकि अपीलार्थी गत 60 वर्षा से उक्त केबिन में अपना ट्रेवल्स का कारोबार करता चला आ रहा है जिसमें पानी–बिजली के कनेक्शन लगे हुये है जो आज तक यथावत चले आ रहे है।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी को सूचित करें बगैर व उसको नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये बिना उसकी केबिन को कुर्क किया गया है जबकि उक्त भूमि में बनी हुई पक्की दुकानों व खूड हाउस को कुर्क नही किया गया है। उन्होने आगे कथन किया है कि कुर्की नोटिस में जिस सम्पत्ति को कुर्क किया जाना अंकित किया गया है उसमें जयपुर सीकर मोटर यूनियन खूड हाउस का कार्यालय व खाली मैदान है उसे बावजूद अपीलार्थी की केबिन को कुर्क किया गया है जो विधि विरूद्ध एवं प्रत्यर्थीगण द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया गया है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थीगण के यहॉ आवेदन करते हुये जाहिर किया गया था कि वह खूड हाउस में स्थित अपनी केबिन की सीमा तक जो भी नगरीय कर बकाया बनता हो, वह अपीलार्थी जमा कराने को तैयार व तत्पर रहा है लेकिन प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी से उसके केबिन की सीमा तक बनने वाले नगरीय गृहकर की राशि जमा नही की तथा अपीलार्थी की केबिन को आनन–फानन में सीज कर उसका उपयोग–उपभोग करने से अपीलार्थी को वंचित किया हुआ है जिसके कारण अपीलार्थी का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है तथा अपीलार्थी बेरोजगार हो गया है।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा खूड हाउस की भूमि में स्थित इण्डियन ऑयल कम्पनी के पैट्रोल पम्प बाबत उसके हिस्से का बनने वाला नगरीय गृहकर प्राप्त कर उसको सील नही किया गया तथा प्रार्थी के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है तथा प्रत्यर्थीगण खूड हाउस की भूमि में स्थित पक्की दुकानों व जयपुर सीकर मोटर यूनियत के कार्यालय खूड हाउस की अन्य सम्पत्तियों जिसमें खूड हाउस के ही काफी किरायेदार रह रहे है को कुर्क नही कर अपीलार्थी की केबिन को ही कुर्क करने से नगर निगम के अधिकरियों की मिलीभगत साबित होती है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा

पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2019 को निरस्त कर प्रत्यर्थीगण को आदेशित किया जावें कि वह अपीलान्ट की केबिन की सीमा तक बनने वाले नगरीय गृहकर की राशि वसूल कर उसकी केबिन को कुर्की से मुक्त करें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण खूड हाउस के बकाया गृहकर के सम्बध में है तथा कुर्की नोटिस दिनांक 21.02.2017 में कुर्क सम्पत्ति का विवरण में जयपुर सीकर मोटर यूनियन खूड हाउस का कार्यालय एवं खाली मैदान दिया गया है उसके उपरान्त भी यदि अपीलार्थी की केबिन को कुर्क किया गया है तो यह न्याय व विधि सम्मत नही है तथा तथा पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है नगर निगम द्वारा खूंड हाउस की सम्पत्ति में ही बने हुये इण्डियन ऑयल पैट्राल पम्प की गृहकर राशि जरिये रसीद संख्या 99 बुक नम्बर 170893 दिनांक 15.02.2017 के माध्यम से जमा की गई है किन्तु अपीलार्थी अपनी उक्त केबिन की सीमा तक बकाया नगरीय गृहकर जमा कराना चाह रहा है उसकी उपरान्त भी अपीलान्ट की केबिन के सम्बन्ध में की गई कुर्की कार्यवाही विधि सम्मत प्रतीत नही होती है। ऐसी स्थिति में प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2019 निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थी के केबिन को कुर्की मुक्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थी को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर अपीलार्थी के केबिन के सम्बन्ध में नियमानुसार गृहकर का निर्धारण किया जाकर अपीलार्थी के उक्त केबिन की सीमा तक नगरीय गृहकर जमा कराने की कार्यवाही की जावें। खूड हाउस की शेष सम्पत्ति पर बकाया नगरीय गृहकर की नियमानुसार वसूली कार्यवाही करने हेतु प्रत्यर्थीगण स्वतंत्र रहेंगे।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।